रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2016/माघ 1, 1937
No. 25] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2016/ MAGHA 1, 1937

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2016

सं. पृविमं/1/32/2014-रा.भा. – पृथ्वी विज्ञान से संबंधित विषयोंपर मूल रुप से हिंदी में पुस्तकें लिखने को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय के दिनांक 16 जुलाई, 2007 के संकल्प सं पृविमं/1/32/2007-रा.भा. का अधिक्रमण करते हुए वित्त वर्ष 2015 -16 से पृथ्वी विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना का कतिपय संशोधनों के साथ नवीकरण किया गया है । मंत्रालय के अंतर्गत पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकाइस), राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीएओआर), राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी),भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), समुद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र (सीएमएलआरई) एवं एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (इकमाम) कुल आठ कार्यालय थे। अब राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसेस) तथा राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) नामक दो अन्य कार्यालय भी मंत्रालय के अंतर्गत आ गए है । अत: इनसे संबंधित विषयोंको शामिल करते हुए तथा पुरस्कार राशि में वृद्धि करते हुए पहले से जारी मूल योजना को और अधिक आकर्षक बनाया गया है। संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

1. योजना का नाम : इस योजना का नाम 'पृथ्वी विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना' होगा ।

2 उद्देश्य एवं क्षेत्र :इस योजना का उद्देश्य समुद्र विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान तथा पृथ्वी विज्ञान से संबद्ध विषयोंपर मूल रुप से हिन्दी में पुस्तकें लिखने को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अन्तर्गत उन भारतीय लेखकोंको सम्मानित किया जाएगा जो मूल रूप से हिन्दी में लेखन करते है। इस उद्देश्य के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं इनके

अधीनस्थ/संबद्ध/स्वायत्तशासी कार्यालयो से संबंधित निम्नलिखित विषयोंपर प्रकाशित पुस्तकें शामिल की जाएंगी :-

(1) समुद्र के सजीव तथा निर्जीव संसाधन ;

(2) गहरे समुद्र संस्तर से बहुधात्विक पिण्डिकाएं;

(3) आर्कटिक/अंटार्कटिक अनुसंधान ;

(4) समुद्री पर्यावरण- प्रदूषण नियंत्रण;

(5) तरंग ऊर्जा का इस्तेमाल तथा समुद्री ताप ऊर्जा रुपांतरण;

(6) उपग्रह मौसम-विज्ञान;

(7) जल मौसमविज्ञान;

(8) प्राकृतिक आपदाओं संबंधी विज्ञान;

(9) कृषि मौसम विज्ञान;

(10) जलवायु-विज्ञान ;

(11) ध्रुवीय विज्ञान ;

(12) वायुमंडल विज्ञान ।

3. पुरस्कार की राशि :इस योजना के अंतर्गत मूल रुप से हिन्दी में लिखी गई पुस्तकोंके लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:-

प्रथम पुरस्कार............रु. 1,00,000

द्वितीय पुरस्कार............रु. 60,000

तृतीय पुरस्कार ....रु. 40,000

सांत्वना पुरस्कार ....रु. 20,000

4 मुख्य विशेषताएं : 4.1 इस योजना का संचालन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा

:4.2 यह योजना अपने नए रुप में वर्ष 2016 से आरंभ होगी और इस योजना के अंतर्गत कैलेण्डर वर्ष के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। पैरा 2 में दिए गए विषयोंपर प्रकाशित पुस्तकोंको ही पुरस्कार देय होंगे । पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान करने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रोंपत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करके लेखकोंसे आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा ;

:4.3 लेखक, अपने आवेदन निर्धारित फार्म में भरकर संयुक्त सचिव(प्रशा.), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर के सामने, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को प्रस्तुत करेंगे। आवेदक अपने आवेदन-पत्र के साथ अपनी प्रकाशित पुस्तकों की 6 प्रतियां भेजेगें । प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक में कम-से-कम 100 पृष्ठ होने चाहिए । पुस्तक में उन्हीं तथ्योंको उजागर किया जाना अपेक्षित है जो प्रामाणिक हों;

:4.4 लेखक पुस्तक में अपना बायोडेटा देंगे; और

:4.5 पुरस्कार विजेताओं को यात्रा व्यय दिया जाएगा यदि वे सरकारी सेवा में नहीं हैं ।

5.	योजना में भाग लेने के लिए पात्रता	:5.1 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ/संबद्ध/स्वायत्तशासी कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों सहित सभी वैज्ञानिक विभागों में काम करने वाले अधिकारी/कर्मचारी एवं सभी भारतीय नागरिक इस योजना में भाग ले सकते हैं परंतु मंत्रालय के राजभाषा विभाग/प्रशासन से संबंधित कोई भी अधिकारी/कर्मचारी योजना में भाग नहीं ले सकता है;
		: 5.2 पाठय पुस्तकों, अर्थात सभी पुस्तकें, जो विशिष्ट रुप से कक्षाओं में पढ़ाने के लिए तैयार की गई हैं, तथा बच्चों के लिए लिखी गई हैं, उन्हें इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा ;
		: 5.3 जिन लेखकों की पुस्तकों को इस प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा उनका अपनी पुस्तकों पर प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) बना रहेगा तथा पुस्तकें अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (ISBN) के तहत पंजीकृत होनी चाहिए ;
		: 5.4 लेखक को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि पुरस्कार के लिए भेजी पुस्तक उनकी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट (यथा संशोधित) 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापी राइट का उल्लंघन नहीं करती है ;
		: 5.5 जिन पुस्तकों को इस प्रतियोगिता के लिए पहले पेश किया जा चुका है उन्हें इस प्रतियोगिता के लिए दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में लेखक को प्रमाण-पत्र देना होगा;
		: 5.6 केवल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को ही पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन करने और इस प्रकार के चयन के लिए लागू होने वाले नियम तैयार करने का अधिकार होगा ;
		: 5.7 जिन मौलिक पुस्तकों को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा वे पुरस्कार वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के भीतर प्रकाशित हुई होनी चाहिये;
		: 5.8 जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की किसी योजना के अधीन एक बार पुरस्कार दिया जा चुका हैं, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में लेखक को प्रमाण पत्र देना होगा;
		: 5.9 एक लेखक किसी वर्ष विशेष में किसी भी विषय पर केवल एक पुस्तक विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है ;
		: 5.10 पुरस्कृत लेखक तीन वर्षों के उपरान्त इस योजना में पुन: भाग ले सकते है;
		:5.11 लेखक अपनी पुस्तक के अंत में उन संदर्भ-स्रोतों (Bibliography) की सूची भी देगा, जिनकी सहायता से लेखक ने पुस्तक तैयार की है;
6.	सामान्य शर्तें	:6.1 यदि पुरस्कार प्राप्त करने वाली किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को उनमें बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा ;

:6.2 यदि किसी वर्ष में मूल्यांकन समिति किसी भी पुस्तक को पुरस्कार दिए जाने के उपयुक्त नहीं समझती है तो मूल्यांकन समिति अपने विवेक से उस वर्ष के लिए इस पुरस्कार को रोक सकती है ;
:6.3 पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ;

7. मूल्यांकन समिति

: 7.1 पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए पुस्तकों का चयन करने के उद्देश्य से गठित मूल्यांकन समिति द्वारा पुस्तक का मूल्यांकन किया जाएगा । संयुक्त सचिव (प्रशा.) समिति के अध्यक्ष होंगे । इस मूल्यांकन समिति में अध्यक्ष को मिलाकर पांच सदस्य होंगे;
:7.2 मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाएगी। मूल्यांकन समिति के सदस्य वैज्ञानिक/प्रस्तुत योजना के विषयों के स्कॉलर अथवा भाषाविद (हिंदी भाषा) होने चाहिए। एक बार गठित समिति के सदस्य अगली बार समिति में शामिल नहीं किए जाएंगे। मूल्यांकन समिति का अध्यक्ष आवश्यकतानुसार विभिन्न विषयों के अन्य विशेषज्ञों को भी इस समिति में शामिल कर सकता है । इस प्रकार शामिल किए गए विशेषज्ञों की हैसियत केवल सलाहकार की होगी ;
:7.3 यदि मूल्यांकन समिति का कोई सदस्य इस पुरस्कार योजना में शामिल होना चाहता है तो वह उस वर्ष के लिए मूल्यांकन समिति का सदस्य नहीं होगा ;
:7.4 मूल्यांकन समिति द्वारा लिया गया फैसला अंतिम और हर लिहाज से बाध्यकर होगा और उसके खिलाफ किसी प्राधिकारी को कोई अपील नहीं की जा सकेगी ;
:7.5 इस समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से (तीन वर्ष) का होगा । मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सहित सभी गैर सरकारी सदस्यों को उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन कार्य के लिए यथा निर्धारित नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा ;
:7.6 मूल्यांकन समिति के गैर सरकारी सदस्यों को नियमानुसार यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा ।
: 7.7 समिति के सदस्यों को घोषणा पत्र भरना होगा कि कोई भी आवेदक उसका सगा संबंधी अथवा जानकार नहीं है ।

8. अन्य शर्तें

: मौलिक पुस्तक का आशय निम्नलिखित प्रकार की पुस्तक से है :
: 8.1 पुस्तक आवेदक/लेखक ने स्वयं मूल रुप से हिन्दी में लिखी हो, व किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक का स्वयं उस प्रतियोगी द्वारा अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा तैयार किया गया अनुवाद न हो। लेखक को इस संबंध में मौलिकता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ;
: 8.2 पुस्तक को आवेदक ने मूल रुप से हिन्दी में अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रुप में न लिखा हो। किसी ऐसी पुस्तक अथवा लेख का हिन्दी में अनुवाद न हो जिसे लेखक ने अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक

भाग के रुप में लिखा हो । पुस्तक लेखक द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया विस्तृत/संक्षिप्त रुप अथवा सार न हो जिसे लेखक ने अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी काम-काज के एक भाग के रुप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में लिखा अथवा प्रकाशित कराया हो

: 8.3 पुस्तक किसी सरकारी संविदा के अंतर्गत अथवा किसी अन्य सरकारी योजना के अन्तर्गत लिखी गयी पुस्तक न हो ;

9. योजना में संशोधन का अधिकार — पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को इस योजना में कभी भी आवश्कतानुसार संशोधन करने का अधिकार होगा ।

-ह/-

आनंद एस.खाती, संयुक्त सचिव

सं. पृविमं/1/32/2014 -रा.भा

भारत सरकार

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

पासपोर्ट	पृथ्वी भवन, इंडिया हैबिटेट
साइज की	सेंटर के सामने,लोदी रोड
फोटो (दो प्रतियां)	नई दिल्ली- 110003
	दिनांक :

आवेदन पत्र

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विषयोंसे संबंधित हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित 'पृथ्वी विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना'के अंतर्गत प्रविष्टियां भेजने के लिए लेखकों द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र

1. लेखक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :..

2. जन्म तिथि तथा आयु :..

3 स्थायी पता :..

4. पत्र व्यवहार का पता :..

5. वर्तमान व्यवसाय :..

6. शैक्षिक अर्हताएं :..

7. अनुभव :..

8. मातृभाषा :..

9. प्रस्तावित प्रकाशित पुस्तक का शीर्षक :..

10. आईएसबीएन (ISBN) नं. :..

11 प्रकाशित पुस्तक का विषय :..

12. प्रकाशित पुस्तक किस वर्ग के पाठको के लिए है(अर्थात प्राथमिक विद्यालय/हाईस्कूल/ इंटरमिडिएट/स्नातक स्तर/व्यवसायिक/जनसाधारण) :..

13. क्या अध्यायवार सारांश संलग्न है ? :........... ....

14. क्या आवेदक को इस प्रकाशित पुस्तक के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग अथवा अभिकरण से कोई वित्तीय सहायता मिली है/ :..

मिल रही है? यदि हां, तो निम्नानुसार :..

ब्यौरा दें। :..

(क) विभाग/अभिकरण का नाम :..

(ख) कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई/ प्राप्त होने की संभावना है?

(ग) किस वर्ष प्राप्त हुई?

15. क्या इस प्रकाशित पुस्तक को भारत सरकार अथवा किसी अभिकरण की किसी अन्य योजना के अंतर्गत पहले ही पुरस्कृत किया जा चुका है? यदि हां तो :

....

....

(क) विभाग/अभिकरण का नाम :..

(ख) पुरस्कार की राशि ....

(ग) किस वर्ष के लिए पुरस्कृत किया गया

16 आवेदक के इसके पूर्व के प्रकाशनो का ब्यौरा, यदि कोई हो तो :..

17. कोई अन्य सूचना जो लेखक देना उचित समझते हैं :...

18. घोषणा

(क) मैंने इस योजना के नियम व शर्तें पढ़ लिए हैं और ये मुझे पूर्णत: मान्य हैं।

(ख) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कापीराइट अधिनियम तथा/अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य अधिनियम/कानून, जो भी लागू हो, का उल्लंघन नहीं करूंगा/करूंगी और इस पुस्तक के संबंध में यदि किसी समय मेरे खिलाफ अधिनियम/कानून के उल्लंघन का कोई मामला आता है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी।

(ग) मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि इस फार्म में दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं।

(घ) मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है एवं अनूदित नहीं है।

(ङ) मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूं कि "पृथ्वी विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना" के तहत पिछले तीन वर्षों में मेरी किसी रचना को पुरस्कार नहीं दिया गया है व न ही मैंने इस रचना को इस प्रतियोगिता में पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया है।

(च) मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूं कि प्रस्तुत पुस्तक भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की किसी योजना के अधीन कभी भी पुरस्कृत नहीं की गई है ।

स्थान :......................... हस्ताक्षर :

तारीख :......................... नाम :

फोन : (कार्यालय): (कोड नं. सहित)

(आवास) :

(मोबाइल) :

(ई-मेल) :

(फैक्स) :

MINISTRY OF EARTH SCIENES

RESOLUTION

New Delhi, the 21st January, 2016

No: MoES/1/32/2014-OL—In supersession to the resolution No. MoES 1/32/2007-O.L. with a view to encourage writing books originally written in Hindi pertaining to the Earth Sciences, the scheme of Prithvi Vigyan Maulik Pustak Lekhan Yojana has been renewed with modifications from the financial year 2015-16. Since, National Centre for Earth Sciences Studies (NCESS) and National Seismology Centre (NCS) are the two new offices which came under the control of this ministry along with India Metrological Deptt. (IMD), National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF), Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS), National Centre for Antarctica and Ocean Research (NCAOR), National Institute of Ocean Technology (NIOT), Indian Institute of Tropical Metrology (IITM), Centre for Marine Living Resources and Ecology (CMLRE) and Integrated Coastal and Marine Area Management (ICMAM) were the eight offices under the Ministry of Earth Sciences. Accordingly, subjects relating to above two offices are to be included for the award money which has been increased to make this scheme more attractive. The salient features of the modified scheme are given below.

1.	Name of the scheme	: The scheme shall be called "Prithvi Vigyan Maulik Pustak Lekhan Yojana".
2	Objectives and areas	: The Scheme aims at promoting writing of original books in Hindi on the Oceanography, Atmospheric Science, Earth Sciences and related allied subjects. Under this scheme, Indian writers will be awarded for original books written in Hindi. For this purpose the published books on the following subjects related to Ministry of Earth Sciences and its subordinate/attached/autonomous offices will be included:- (1) Living and Non-Living Resources of the Ocean ; (2) Polymetallic Nodules from deep sea-bed ; (3) Arctic/Antarctic Research ; (4) Marine environment- pollution control; (5) Harnessing of wave energy and the ocean thermal power conversion ; (6) Satellite Meteorology; (7) Hydro Meteorology (8) Science related to Natural Disasters; (9) Agro-Meteorology; (10) Climatology (11) Polar Science. (12) Atmospheric Science
3.	Value of Award	: The following prizes shall be awarded for original books written in Hindi under this Scheme:- First Prize ....Rs. 1,00000 Second prize...................... Rs. 60,000 Third prize......................... Rs. 40,000 Consolation prize............. Rs. 20,000
4.	Salient Features	4.1 The Scheme shall be run by the Ministry of Earth Sciences; 4.2 The Scheme in its new form will commence from the year 2016 and prizes will be awarded for calendar year. Only outstanding published books will be awarded on topics prescribed in Para 2. Ministry of Earth Sciences will invite applications for award of prizes under this scheme from the authors through publication of advertisements in leading newspapers of Hindi and English; 4.3 The authors shall submit their applications in the prescribed format duly filled in and submit the same to the Joint Secretary (Admn.), Ministry of Earth Sciences, Prithvi Bhavan, opp. India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003. The applicants shall submit six (6) copies of their published books along with their application. Each published book should have at least 100 pages in which only authentic facts should be highlighted ; 4.4 Bio-data of the author must be included in the book; and 4.5 Award winners shall be paid travelling allowance provided they are not in government service.

5. Eligiblity for participation in the scheme.

5.1 The scheme is open to all the Indian Citizens and officers working in all scientific departments and for the officers/staff working in the Ministry of Earth Sciences and its Attached/Subordinate offices/Autonomous Bodies except the officer/employees of official language/administration of this ministry;

5.2 Text books, especially for teaching in classrooms and books written for children will not be included for the competition ;

5.3 Copyright of the authors, whose books are included in the competition, will continue to remain with them and the book should have registered under the International Standard Book Number (ISBN);

5.4 The author will have to present a certificate in this regard that this is his original work and it does not violate the copyright(s) of other writers under the Copyright Act (as amended) of 1997.

5.5 The entries submitted on earlier occasions for this competition cannot be submitted again. A certificate will have to be submitted in this regard by the author;

5.6 The Ministry of Earth Sciences will have the sole right of selecting books for the award and to formulate rules governing such selection;

5.7 The original works which will be presented under this scheme should have been published during the last three years including the year of the award;

5.8 The books once awarded under any other scheme by the Government of India or State Government or Administration of the Union Territories shall not be accepted under this scheme. The author has to submit a declaration in this regard;

5.9 Any author may submit one entry in each category under the scheme;

5.10 Author, once awarded under this scheme in a particular year, can participate again, after a period of three years; and

5.11 A list of references (Bibliography) must be given at the end of the book with which the author has written this book.

6. General terms

6.1 If there are more than one author(s) of any prize winning entry, the amount of award shall be equally divided among the author(s);

6.2 If during any year, the Evaluation Committee does not find any published work suitable for the award, It can withhold the award at its discretion;

6.3 No correspondence will be entertained regarding the selection of books or the procedure for awarding of prize.

7. Evaluation Committee

7.1 For selection of published books for the award, evaluation will be done by the Evaluation Committee constituted for this purpose. Joint Secretary (Admn.) will be the Head of the committee. The Evaluation Committee shall consist of five members including the Chairman;

7.2 The Chairman and the members of the Evaluation Committee will be appointed by the Secretary of the Ministry of Earth Sciences. The members of the Evaluation Committee will consist of scientists/ scholars of various disciplines mentioned under this scheme or the linguists (Hindi). The members of the

committee will not be repeated in the next committee. The Chairman of the Evaluation Committee may invite experts of the respective disciplines, wherever necessary. Those experts will only be in the advisory capacity;

7.3 If any member of the Evaluation Committee wishes to participate in the prize scheme, he will not be the member of the Evaluation Committee for that particular year;

7.4 The decision taken by the Evaluation Committee shall be final and binding in all respects and no appeal can be made to any authority against it;

7.5 The term of the Committee will be for a period of three years from the date of its constitution. Honorarium, as may be fixed, as admissible per the rules, shall be paid to all non-official members including the Chairman of the Evaluation Committee for the Evaluation work undertaken by him;

7.6 Non-official members of the Evaluation Committee will be entitled for TA, as admissible per the rules.

7.7 The members of the committee will have to give an undertaking that no applicant is their relative or known.

8. Other conditions : Original Hindi books mean the following:

8.1 The published book should have been written originally in Hindi by the applicant/author. It should not be a Hindi translation of a book written in any other language by the applicant himself or by some professional translator. In this regard Certificate of Originality shall have to be produced by the author;

8.2 The book should have not been written by the applicant in Hindi or in any other language in his official capacity or as a part of his official work. The book should not be a Hindi translation of any book translated either by the competitor himself or by some professional translator which has been written by the author either in English or in any other Indian Language in his official capacity or as a part of his official work. The book should not be an exhaustive/abridged version or a summary prepared by the author or any other person which the author has written/published in English or in any other language in his official capacity, or as part of his official capacity.

8.3 The book should not be any book written under either any Government contract or under any Governmental scheme.

9 Right to modify the scheme. : The Ministry of Earth Sciences will have the right to modify this scheme from time to time as necessary.

ANAND S. KHATI, Jt. Secy.

No. MoES/1/32/2014-O.L

Bharat Sarkar/Government of India
Prithvi Vigyan Mantralay/Ministry of Earth Sciences

Two recent Passport size	Prithvi Bhavan, Near India Habitat
Photo	Centre, Lodi road, New Delhi-110003
	Date :

Application Form

Form to be filled in by the author for sending their entries under the "Prithvi Vigyan Maulik Pustak Lekhan Yojana" being organised by the Ministry of Earth Sciences for writing books originally in Hindi pertainting to the subjects of the Ministry of Earth Sciences.

1.	Full name of the Author (In Bold letters)	:...
2.	Date of Birth and Age	:...
3	Permanent address	:...
4.	Address for correspondence	:...
5.	Present occupation	:...
6.	Educational qualification	:...
7.	Experience	:...
8.	Mother Tongue	:...
9.	Topic of the book	:...
10.	ISBN No.	:...
11.	Subject of the book	:...
12.	Category of the readers group (ie. Primary school/High school/ Intermediate/Graduate level/Professional/ general public	:...
14.	Whether the applicant received/ receiving any grants-in-aid from any other Government Depart-ment or agency for this book. If yes,	:...
	(a) Name of the Department/Agency	:...
	(b) Amount of grants-in-aid received/to be received as a financial aid.	:...
	(c) In which year the amount received	:...

15. Has book received any award under any scheme of the Government of India or agency earlier? If yes,
(a)Name of the Department/Agency :............................... ....
(b)Amount of award received :..
(c)For which year the book has been awarded. ....

16. Details of other earlier publications of the Author, if any, :..

17. Any other information which Author wants to give: :..

18. Declaration :
(a) I have read the rules and regulations of this Scheme and I fully agree with them.
(b) I declare that I will not violate the Copyright Act and/or any other such Act/Rule, whichever is applicable. In case any violation of Act/Rule is found against me regarding this book I shall be responsible for the same.
(c) I further declare that details given in the form are correct to the best of my knowledge and belief.
(d) I declare that the book has been written originally in hindi by me/us and it is not a translated version.
(e) I also certify that I have not received any award under " the Prithivi Vigyan Maulik Pustak Lekhan Yojna" during the last three years.
(f) I declare that the book has never been awarded under the any other scheme of Government of India or State Government or Administration of the Union Territories.

Place :

Date: Signature
Phone (Office): (with code no)

(Residence): Name:

(Mobile):

(E-mail):

(Fax) :

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.